# उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

संख्याः13400/यू.पी.रेरा/प्रशा./2024–25 दिनांकः 11 /09/2024

## कार्यालय आदेश

मा. प्राधिकरण की 152वीं बैठक दिनांक 30.07.2024 में पंजीकृत लगभग 400 ऐसी परियोजनाओं को, जिनमें भूमि एवं मानचित्र के अभिलेख कई नोटिसें दिए जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, Abeyance श्रेणी में रखने का निर्णय लिया गया है। मा. प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय होम बायर्स एवं जन सामान्य को यह जानकारी सुलभ कराने हेतु लिया गया था जिससे इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में होम बायर्स सुविचारित निर्णय ले सके। इस निर्णय का एक उद्देश्य यह भी है कि कोई प्रोमोटर अथवा अन्य व्यक्ति उ.प्र. रेरा द्वारा प्रदत्त पंजीयन संख्या का दुरूपयोग न कर सके।

उक्त निर्णय का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि सम्बन्धित प्रोमोटर के विरूद्ध चल रही धारा–31, धारा–38/40/63, शास्ति अथवा राजस्व वसूली सम्बन्धित किसी कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव होगा। यदि किसी पक्ष द्वारा कोई जिज्ञासा की जाती है तो तद्नुसार उन्हें अवगत करा दिया जाए। किसी दशा में उक्त आदेश के आधार पर रेरा में चल रही कोई कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी। यदि इन प्रोमोटर्स द्वारा भूमि एवं मानचित्र सम्बन्धी अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति मांगी जाती है, तो एडिट की अनुमति देते हुए उक्त अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कराया जाए तथा परियोजना को Abeyance श्रेणी से बाहर किया जाए।

(संजय आर भूसरेड्डी)
अध्यक्ष

संख्या दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
2. मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, मुख्यालय लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
4. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

5. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. संयुक्त सचिव / उपसचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7. सहायक निदेशक सिस्टम्स एवं सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
8. उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, मुख्यालय लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में मा. पीठ में आबद्ध कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव